



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31122021-232296
CG-DL-E-31122021-232296

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745]
No. 745]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 31, 2021/पौष 10, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 2021/PAUSA 10, 1943

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

सा.का.नि. 919(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (घक) और खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच और शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच और शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया) (संशोधन) नियम, 2021 है।
(2) ये राजपत्र इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच और शास्ति अधिरोपित करने की प्रक्रिया) नियम, 1995 में,-
(i) नियम, 2 के खंड (ख) में "धारा 15ठ", शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर "धारा 15 झ" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
(ii) नियम, 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"7. सूचना और आदेशों की तामील,- (1) इन नियमों के अधीन जारी की गई सूचना या किए गए किसी आदेश को निम्नलिखित रीति से व्यक्तियों पर तामील की जाएगी, अर्थात् :-

- उसे उस व्यक्ति या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को परिदत्त या निवेदित करके; या

(ख) उसे उस व्यक्ति को फैक्स या इलेक्ट्रानिक मेल या इलेक्ट्रानिक मेल सेवा के साथ इलेक्ट्रानिक तत्काल मैसेजिंग सेवा या कोरियर या स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्रड पोस्ट के द्वारा भेज कर;

परन्तु कोरियर या स्पीड पोस्ट या रसीदी रजिस्ट्री डाक उसके निवास स्थान के पते पर या उसके निवास स्थान के ज्ञात अंतिम पते पर या उस स्थान पर जहां वह कारबार करता है या उसने अंतिम बार कारबार किया था या लाभ के व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या अंतिम बार कार्य किया था।

परन्तु यह और कि फैक्स द्वारा भेजी गई सूचना में यह टिप्पण होगा कि उसे फैक्स द्वारा भेज दिया गया है और दस्तावेज अंतर्विष्ट उपाबंध के मामले में भेजे जाने वाले पृष्ठों की संख्या भी उल्लिखित की जाएगी;

परन्तु यह भी कि इलेक्ट्रानिक मेल या इलेक्ट्रानिक मेल सेवा के साथ इलेक्ट्रानिक तत्काल मैसेजिंग सेवा के माध्यम से भेजी गई कोई सूचना सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अंकीय हस्ताक्षरित होगी और इलेक्ट्रानिक मेल का अस्वीकृत होना विधिमान्य तामील गठित नहीं करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन उपबंधित रीतियों में से किसी एक के माध्यम से सूचना या आदेश की तामील के असफल होने के मामले में सूचना या आदेश उसे परिसर के, जिसमें वह व्यक्ति निवास करता है या उसने अंतिम बार निवास किया था या कारबार किया है या अभिलाभ के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है या अंतिम बार कार्य किया था, बाहरी द्वार या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाया जाएगा और उसकी लिखित रिपोर्ट दो साक्ष्यों की उपस्थिति में तैयार की जाएगी।

(3) उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित बाहरी द्वार पर सूचना या आदेश के लगाने में असफल होने के मामले में यह कम से कम दो समाचारपत्रों, जिसमें से एक अंग्रेजी दैनिक समाचारपत्र जिसका परिचालन राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है और अन्य समाचारपत्र ऐसा दैनिक समाचारपत्र होगा जिसका परिचालन उस स्थानीय क्षेत्र में होता है जिसमें उस व्यक्ति का अंतिम बार निवास करना या कारबार करना या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करना ज्ञात था, में प्रकाशित की जाएगी।

[फा. सं. 5/05/एफएम/2017-भाग]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव (वित्तीय बाजार)

टिप्पण : मूल नियम, आधिसूचना सं. सा.का.नि. 541(अ), तारीख 10 जूलाई, 1995 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे:

- (1) का.आ. 1961(अ), तारीख 14 नवंबर, 2006;
- (2) सा.का.नि. 430(अ), तारीख 28 मई, 2015; और
- (3) सा.का.नि. 210(अ), तारीख 08 मार्च, 2019।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

G.S.R. 919(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (da) and clause (f) of sub-section (2) of section 29 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties) Rules, 1995, namely:-

1. (1) These rules may be called the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Inquiry and Imposing Penalties) Rules, 1995,—

(i) in rule 2, in clause (b), for the word, figures and letter “section 15L”, the word, figures and letter “section 15I” shall be substituted;

(ii) for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:—

“7. Service of notices and orders.— (1) A notice or an order issued under these rules shall be served on the person through any of the following modes, namely:—

- (a) by delivering or tendering it to that person or his duly authorised agent; or
- (b) by sending it to the person by fax or electronic mail or electronic instant messaging services along with electronic mail or by courier or speed post or registered post:

Provided that the courier or speed post or registered post shall be sent to the address of his place of residence or his last known place of residence or the place where he carried on, or last carried on, business or personally works, or last worked, for gain, with acknowledgment due:

Provided further that a notice sent by fax shall bear a note that the same is being sent by fax and in case the document contains annexure, the number of pages being sent shall also be mentioned:

Provided also that a notice sent through electronic mail or electronic instant messaging services along with electronic mail shall be digitally signed by the competent authority and bouncing of the electronic mail shall not constitute valid service.

(2) In case of failure to serve a notice or an order through any one of the modes provided under sub-rule (1), the notice or order may be affixed on the outer door or some other conspicuous part of the premises in which the person resides or is known to have last resided, or carried on business or personally works, or last worked, for gain and a written report thereof shall be prepared in the presence of two witnesses.

(3) In case of failure to affix the notice or order on the outer door as provided under sub-rule (2), the notice or order shall be published in at least two newspapers, one of which shall be in an English daily newspaper having nationwide circulation and another shall be in a newspaper having wide circulation published in the language of the region where that person was last known to have resided or carried on business or personally worked for gain.

[F. No. 5/05/FM/2017-Part]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy. (Financial Markets)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i), vide notification number G.S.R. 541 (E), dated the 10th July, 1995 and subsequently amended vide notification numbers as under:

- (1) S.O. 1961 (E), dated the 14th November, 2006;
- (2) G.S.R. 430 (E), dated the 28th May, 2015; and
- (3) G.S.R. 210 (E), dated the 08th March, 2019